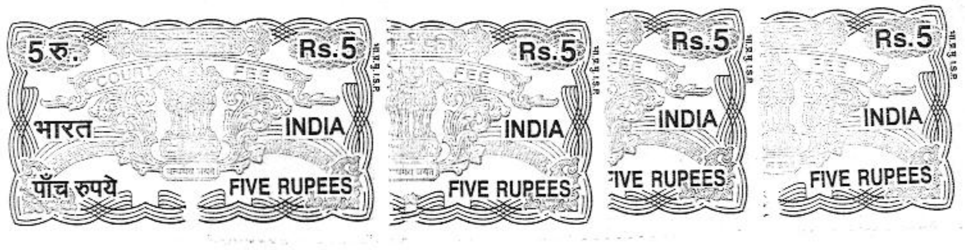

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

नि - 34-PBR-16

प्रकरण कमांकः   /15–16/PBR/निगरानी

महेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा
निवासी पाटनकर चौराहा, लश्कर, ग्वालियर

—————— प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

4-1-16 को
... शर्मा, अधि०
प्रस्तुत।
ब०
4-1-16
50

1— मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार, ग्वालियर

—————— प्रतिप्रार्थी

2— रमेश चन्द्र पुत्र ईश्वरी प्रसाद

3— श्रीमती विमला देवी पत्नी महेन्द्र कुमार शर्मा

4— रामऔतार पुत्र ख्यालीराम शर्मा सभी निवासी पाटनकर चौराहा, लश्कर, ग्वालियर म0प्र0

—————— फरमोरमा / प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी, मुरार, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 5/15–16/172(5) आर्डरशीट दिनांक 15–12–2015 व अन्य कार्यवाही के विरूद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी34–पीबीआर / 16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–1–2016	आवेदक की ओर से श्री अजय शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–12–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवेदक के द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया गया है, जो कि न्यायिक कार्यवाही नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15–12–15 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को राजस्व निरीक्षक का प्रतिपरीक्षण करने का एक अंतिम अवसर और प्रदान किया जाये । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	